मूल सिविल प्रकरण संख्या–02/2018
सी.आई.एस. संख्या – 02/2018
संगीता मोदी व अन्य बनाम अब्दुल वहीद

दिनांकः– 06.03.19

वादीगण के अधिवक्ता श्री मनीष अग्रवाल द्वारा आज एक प्रार्थनापत्र धारा 152 सी0पी0सी0 का वास्ते संशोधन किए जाने निर्णय दिनांक 28.02.19 का पेश किया गया, जिस पर पत्रावली तलब की जाकर पेशी में ली गई । विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह निवेदन किया गया कि दिनांक 28.02.19 को किए गए निर्णय एवं डिक्री में समस्त विवाद्यक वादीगण के पक्ष एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत किए गए है, ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद डिक्री किया गया है। निर्णय के पेज नं0–19 के अनुतोष की दूसरी लाईन में सहवन से लिपिकीय त्रुटि की वजह से वादीगण का वाद सव्यय खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है, अंकन हो गया है, जबकि वादीगण वाद डिक्री किया गया है। अतः प्रार्थी/वादीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरस्त करने की कृपा करें।

वादीगण को सुनने के पश्चात् प्रार्थनापत्र और सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, साथ ही विधिक प्रावधानों का भी अध्ययन व अवलोकन किया गया। सिविल प्रकिया संहिता की धारा 152 के अनुसार निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों में की गई लेखन या गणित संबंधी भूलें या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमें हुई गलतियां न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्ध की जा सकेंगी। उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि निर्णय, डिक्री या आदेश में लेखन संबंधी भूल को न्यायालय किसी भी समय शुद्ध कर सकेगा। हस्तगत प्रकरण में दिनांक 28.02.19 को निर्णय/डिक्री वादीगण के पक्ष में पारित की गई थी, किन्तु लिपिकीय त्रुटिवश निर्णय के पेज नंबर–19 के अनुतोष की दूसरी लाईन से प्रारंभ होकर तीसरी लाईन में खारिज किये जाने के स्थान पर डिक्री किये जाने योग्य अंकन किया जाना चाहिए था, जिसे लिपिकीय त्रुटिवश खारिज किये जाने योग्य अंकित किया गया, जिसे आज उपरोक्त प्रावधान के अनुक्रम में दुरस्त करते हुए ''खारिज'' शब्द के स्थान पर ''डिक्री'' शब्द का अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता है। मूल निर्णय में उक्त पेज नं0–19 के अनुतोष की तीसरी लाईन में ''खारिज'' शब्द को लाल स्याही से घेरा खींचते हुए उस स्थान पर लाल स्याही से ही ''डिक्री'' शब्द का अंकन किया जावे, जिस पर आदेश की आज दिनांक 06.03.19 का अंकन हो। इसी अनुसार प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर लिपिकीय त्रुटि को दुरस्त किया जाता है। आदेश सुनाया गया।